



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032026-270954
CG-DL-E-14032026-270954

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2026/फाल्गुन 22, 1947

No. 180]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2026/PHALGUNA 22, 1947

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026

सा.का.नि. 186(अ).— केंद्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (2) के खंड (य) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्युत नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे:

परंतु नियम 3 के उप-नियम (2) (घ) (ii), (iii) और उप-नियम (4) तारीख 1 अप्रैल, 2026 को प्रवृत्त होंगे।

2. विद्युत नियम, 2005 में नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:—

“3. कैप्टिव उत्पादन संयंत्र की अपेक्षाएं— (1) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो,—

क) “कैप्टिव प्रयोक्ता” का तात्पर्य कैप्टिव उत्पादन संयंत्र में उत्पादित विद्युत के अंतिम प्रयोक्ता से है, और इसमें वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह शामिल है जो ऐसे विद्युत का उपभोग या तो सीधे तौर पर करते हैं या ऐसे कैप्टिव उत्पादन संयंत्र से उत्पादित ऊर्जा को संग्रहीत करने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा भंडारण प्रणाली के माध्यम से करते हैं, और “कैप्टिव उपयोग” शब्द का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा, -

स्पष्टीकरण- जहां कैप्टिव प्रयोक्ता एक कंपनी है, कैप्टिव प्रयोक्ता में उसकी सहायक कंपनी या सहायक कंपनियां, उसकी होलिंग कंपनी, और ऐसी होलिंग कंपनी की कोई अन्य सहायक कंपनी या सहायक कंपनियां सम्मिलित समझी जाएंगी, और उन्हें सामूहिक रूप से एकल कैप्टिव प्रयोक्ता माना जाएगा।

- ख) "सहायक कंपनी" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (87) में उसे दिया गया है;
- ग) "होलिंग कंपनी" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (46) के अंतर्गत उसे दिया गया है।
- घ) "स्वामित्व", से तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित उत्पादन स्टेशन या विद्युत संयंत्र के संबंध में, मालिकाना हित और नियंत्रण, या वोटिंग अधिकार वाली इक्विटी शेयर पूंजी से है, जो या तो प्रत्यक्ष रूप से या उसकी सहायक कंपनी या सहायक कंपनियों, उसकी होलिंग कंपनी और ऐसी होलिंग कंपनी की किसी अन्य सहायक कंपनी या सहायक कंपनियों के माध्यम से धारित है।
- ङ) "विशेष प्रयोजन साधन" से एक विधिक यूनिट अभिप्रेत है जो उत्पादन स्टेशन के स्वामित्व, प्रचालन और रखरखाव के एकमात्र प्रयोजन के लिए स्थापित की गई है और जो कोई अन्य व्यवसाय या क्रियाकलाप नहीं करती है।

स्पष्टीकरण- इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, एक विशेष प्रयोजन साधन को व्यक्तियों का संघ माना जाएगा।

(2) (क) कोई भी विद्युत संयंत्र अधिनियम की धारा 2 के खंड (8) के साथ पठित धारा 9 के अंतर्गत कैप्टिव उत्पादन संयंत्र के रूप में तब तक अर्हता प्राप्त नहीं करेगा, जब तक कि —

- (i) स्वामित्व का कम से कम छब्बीस प्रतिशत हिस्सा कैप्टिव प्रयोक्ता(प्रयोक्ताओं) के पास हो; और
- (ii) वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे संयंत्र में उत्पादित कुल विद्युत का कम से कम इक्यावन प्रतिशत कैप्टिव उपयोग के लिए खपत किया जाता हो।

(ख) ऐसे उत्पादन स्टेशन के मामले में, जो ऐसे उत्पादन स्टेशन के लिए विशेष प्रयोजन साधन के रूप में गठित कंपनी के स्वामित्व में है, ऐसे उत्पादन स्टेशन की एक यूनिट या यूनिट्स, जो कैप्टिव उपयोग के लिए पहचानी गई हैं, न कि संपूर्ण उत्पादन स्टेशन, उपर्युक्त खंड (क) के उप-खंड (i) और (ii) में निहित शर्तों को पूरा करती हैं।

स्पष्टीकरण — इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ:

- (1) कैप्टिव प्रयोक्ताओं द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत का निर्धारण कैप्टिव उपयोग के लिए पहचानी गई उत्पादन यूनिट या यूनिट्स के कुल उत्पादन के आधार पर तय किया जाएगा, न कि पूरे उत्पादन स्टेशन के आधार पर; और
- (2) उत्पादन स्टेशन में कैप्टिव प्रयोक्ता या प्रयोक्ताओं द्वारा धारित किए जाने वाले इक्विटी शेयर, कैप्टिव उत्पादन संयंत्र के रूप में पहचानी गई उत्पादन यूनिट या यूनिट्स के अनुरूप कंपनी की आनुपातिक इक्विटी के छब्बीस प्रतिशत से कम नहीं होंगे।

उदाहरण- 50 मेगावाट की दो यूनिट अर्थात् यूनिट क और ख वाली एक उत्पादन स्टेशन में, 50 मेगावाट की एक यूनिट को कैप्टिव उत्पादन संयंत्र के रूप में पहचाना जा सकता है। कैप्टिव प्रयोक्ताओं के पास कंपनी में कम से कम तेरह प्रतिशत इक्विटी शेयर होंगे (जो 50 मेगावाट की यूनिट क के अनुपात में छब्बीस प्रतिशत होगा) और वित्तीय वर्ष के दौरान तय यूनिट क में उत्पादित विद्युत का कम से कम इक्यावन प्रतिशत कैप्टिव प्रयोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाएगा।

(ग) किसी पंजीकृत सहकारी समिति द्वारा स्थापित विद्युत संयंत्र के मामले में, खंड (क) के उप-खंड (i) और (ii) में विनिर्दिष्ट शर्तों को सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से पूरा किया जाएगा।

(घ) व्यक्तियों के एक संघ द्वारा स्थापित विद्युत संयंत्र के मामले में,—

- (i) खंड (क) के उप-खंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट शर्तों को सभी कैप्टिव प्रयोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से पूरा किया जाएगा, और ऐसे सभी कैप्टिव प्रयोक्ताओं द्वारा विद्युत संयंत्र से कुल खपत पर उक्त शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करने के प्रयोजन के लिए माना जाएगा;
- (ii) किसी व्यक्तिगत कैप्टिव प्रयोक्ता द्वारा कैप्टिव खपत, उसके आनुपातिक खपत के केवल सौ प्रतिशत तक ही स्वीकार्य होगी, जिसकी गणना विद्युत संयंत्र में कुल कैप्टिव स्वामित्व में उसके हिस्से के संदर्भ में की जाएगी;

- (iii) जहां कोई कैप्टिव प्रयोक्ता विद्युत संयंत्र में कम से कम छब्बीस प्रतिशत स्वामित्व रखता है, वहां खंड (घ) के उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट आनुपातिक खपत से संबंधित शर्त ऐसे कैप्टिव उपयोगकर्ता पर लागू नहीं होगी;
 - (iv) जहां वित्तीय वर्ष के दौरान विद्युत संयंत्र का स्वामित्व पैटर्न बदलता रहता है, वहां प्रत्येक कैप्टिव प्रयोक्ता की आनुपातिक खपत वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे कैप्टिव प्रयोक्ता की भारित औसत शेयरधारिता के आधार पर निर्धारित की जाएगी;
 - (v) इस उप-नियम के अंतर्गत आनुपातिक खपत की गणना करने के लिए, एक कैप्टिव प्रयोक्ता, उसकी सहायक कंपनी या सहायक कंपनियां, उसकी होलिंग कंपनी और ऐसी होलिंग कंपनी की कोई अन्य सहायक कंपनी या सहायक कंपनियों को सामूहिक रूप से एकल कैप्टिव प्रयोक्ता माना जाएगा।
- (अनुसूची-3 में उदाहरण देखें)

(3) यह कैप्टिव प्रयोक्ता का दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करे कि उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों का वित्तीय वर्ष के दौरान अनुपालन किया जाए और जहां ऐसी अवधि के दौरान न्यूनतम कैप्टिव खपत की आवश्यकता पूरी नहीं होती है, विद्युत संयंत्र द्वारा उत्पादित संपूर्ण विद्युत को एक उत्पादन कंपनी द्वारा विद्युत की आपूर्ति माना जाएगा और ऐसी खपत पर क्रॉस-सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार लगाया जाएगा:

परंतु व्यक्तियों के एक संघ द्वारा स्थापित विद्युत संयंत्र के मामले में, किसी व्यक्तिगत कैप्टिव प्रयोक्ता द्वारा उसके आनुपातिक खपत के सौ प्रतिशत से अधिक की खपत को उत्पादन कंपनी द्वारा विद्युत की आपूर्ति माना जाएगा और ऐसी अतिरिक्त खपत पर क्रॉस सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार लगाया जाएगा।

(4) (क) किसी विद्युत संयंत्र के कैप्टिव स्थिति का सत्यापन, जहां विद्युत संयंत्र और कैप्टिव प्रयोक्ता एक ही राज्य में स्थित हैं, राज्य सरकार द्वारा नामित नोडल अभिकरण द्वारा जारी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

परंतु जहां कोई कैप्टिव विद्युत संयंत्र और उसके कैप्टिव प्रयोक्ता एक से ज्यादा राज्यों में हों, वहां सत्यापन राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र (एनएलडीसी) द्वारा केंद्रीय सरकार की मंजूरी से एनएलडीसी द्वारा जारी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(ख) उप नियम (4) के खंड (क) के अंतर्गत किए गए सत्यापन के विरुद्ध अपील उपयुक्त सरकार द्वारा गठित शिकायत निवारण समिति के समक्ष की जा सकेगी।

(ग) किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए कैप्टिव स्थिति के सत्यापन लंबित होने पर, नोडल अभिकरण या एनएलडीसी, यथास्थिति, द्वारा जारी प्रक्रिया के अनुसार कैप्टिव प्रयोक्ता (प्रयोक्ताओं) द्वारा प्रस्तुत घोषणा के अध्यक्षीन, क्रॉस सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार नहीं लगाया जाएगा:

परंतु जहां विद्युत संयंत्र ऐसी घोषणा प्रस्तुत करने के बाद वित्तीय वर्ष के लिए कैप्टिव स्थिति के सत्यापन में विफल रहता है, संबंधित राज्य आयोग द्वारा निर्धारित लागू क्रॉस-सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार, विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022, समय-समय पर यथासंशोधित, में यथाविनिर्दिष्ट विलंब भुगतान अधिभार के आधार दर पर गणना की गई वहन लागत के साथ देय होगा।

[फा. सं. 23/26/2022-आरएंडआर(पार्ट-I)]

पीयूष सिंह, अपर सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 379(अ), तारीख 8 जून, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार संख्याक सा.का.नि. 688(अ), तारीख 19 सितम्बर, 2025 द्वारा संशोधित किए गए थे।

अनुसूची - 3

(नियम 3 देखें)

उदाहरण 1: संयंत्र कैप्टिव के रूप में योग्य है - अनुपात खपत सीमा के भीतर

	कैप्टिव प्रयोक्ता			कुल
	क	ख	ग	
कैप्टिव प्रयोक्ता(ओं) का % स्वामित्व (x)	15	10	5	X=30
कैप्टिव प्रयोक्ता(ओं) द्वारा वास्तविक खपत (कुल एक्स-बस उत्पादन के % के रूप में) (y)	33	28	9	Y=70
कैप्टिव उपभोग पात्रता सीमा (कुल एक्स-बस उत्पादन के % के रूप में) = $(Y.x/X)$	35	23.33	11.67	

नोट:

क) क के लिए, वास्तविक खपत (33%) कैप्टिव खपत के रूप में योग्य है।

ख) ख के लिए, केवल 23.33% तक की खपत ही कैप्टिव खपत के रूप में योग्य है।

ग) ग के लिए, वास्तविक खपत (9%) कैप्टिव खपत के रूप में योग्य है।

उदाहरण 2: संयंत्र कैप्टिव के रूप में योग्य है - सामूहिक बनाम व्यक्तिगत सीमा

	कैप्टिव प्रयोक्ता			कुल
	क	ख	ग	
कैप्टिव प्रयोक्ता(ओं) का % स्वामित्व (x)	15	10	5	X=30
कैप्टिव प्रयोक्ता(ओं) द्वारा वास्तविक खपत (कुल एक्स-बस उत्पादन के % के रूप में) (y)	20	28	3	Y=51
कैप्टिव उपभोग पात्रता सीमा (कुल एक्स-बस उत्पादन के % के रूप में) = $(Y.x/X)$	25.5	17	8.5	

नोट:

क) क के लिए, वास्तविक खपत (20%) कैप्टिव खपत के रूप में योग्य है।

ख) ख के लिए, केवल 17% तक की खपत कैप्टिव खपत के रूप में योग्य है। तथापि, संपूर्ण खपत (28%) संयंत्र सत्यापन के लिए मायने रखती है।

ग) ग के लिए, वास्तविक खपत (9%) कैप्टिव खपत के रूप में योग्य है।

उदाहरण 3: संयंत्र कैप्टिव के रूप में योग्य है - व्यक्तिगत स्वामित्व $\geq 26\%$

	कैप्टिव प्रयोक्ता			कुल
	क	ख	ग	
कैप्टिव प्रयोक्ता(ओं) का % स्वामित्व (x)	30	15	5	X=50
कैप्टिव प्रयोक्ता(ओं) द्वारा वास्तविक खपत (कुल एक्स-बस उत्पादन के % के रूप में) (y)	80	12	5	Y =97
कैप्टिव उपभोग पात्रता सीमा (कुल एक्स-बस उत्पादन के % के रूप में) = (Y.x/X)	58.2	29.1	9.7	

टिप्पणः

क) क के लिए, यद्यपि आनुपातिक सीमा 58.2% है, वास्तविक खपत (80%) योग्य है क्योंकि स्वामित्व $\geq 26\%$ है।

ख) ख के लिए, वास्तविक खपत (12%) कैप्टिव खपत के रूप में योग्य है।

ग) ग के लिए, वास्तविक खपत (5%) कैप्टिव खपत के रूप में योग्य है।

उदाहरण 4: संयंत्र कैप्टिव के रूप में योग्य है - समूह संस्थाओं को एकल व्यक्ति मानकर

	कैप्टिव प्रयोक्ता			कुल
	समूह	ख	ग	
कैप्टिव प्रयोक्ता(ओं) का % स्वामित्व (x)	22 (क=22; क1 =0; क2 = 0; क3 = 0)	4	6	X =32
कैप्टिव प्रयोक्ता(ओं) द्वारा वास्तविक खपत (कुल एक्स-बस उत्पादन के % के रूप में) (y)	60 (क=0; क1 =30; क2 = 5; क3 = 25)	6	4	Y =70
कैप्टिव उपभोग पात्रता सीमा (कुल एक्स-बस उत्पादन के % के रूप में) = (Y.x/X)	48.12	8.75	13.12	

टिप्पणः

क) एक ऐसे समूह की कल्पना करें जहां क स्वामित्व रखता है, क1, क की होल्टिंग कंपनी है, क2, क की सहायक कंपनी है और क3, क1 की सहायक कंपनी है। इस मामले में, केवल समूह की सामूहिक खपत (48.12%) योग्य है। अतिरिक्त कैप्टिव उपभोग के रूप में योग्य नहीं है। समूह संस्थाओं के बीच पात्र सामूहिक कैप्टिव खपत का आवंटन समूह द्वारा निर्धारित किया जायेगा, जो सामूहिक पात्रता सीमा के अधीन होगा।

ख) ख के लिए, वास्तविक खपत (6%) कैप्टिव खपत के रूप में योग्य है।

ग) ग के लिए, वास्तविक खपत (4%) कैप्टिव खपत के रूप में योग्य है।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2026

G.S.R. 186(E).— In exercise of the power conferred by sub-section (1), read with clause (z) of sub-section (2), of section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Electricity Rules, 2005 namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Electricity (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette:

Provided that sub-rule (2)(d)(ii), (iii) and sub-rule (4) of Rule 3 shall come into force on the 1st April, 2026.

2. In the Electricity Rules, 2005, for Rule 3, the following rule shall be substituted, namely:—

“3. Requirements of Captive Generating Plant.—(1) For the purposes of this rule, unless the context otherwise requires,—

(a) “captive user” shall mean an end user of the electricity generated in a Captive Generating Plant, and includes a person or group of persons who consume such electricity either directly or through an Energy Storage System used for storing energy generated from such Captive Generating Plant, and the term “captive use” shall be construed accordingly, —

Explanation. - Where a captive user is a company, the captive user shall be deemed to include its subsidiary or subsidiaries, its holding company, and any other subsidiary or subsidiaries of such holding company, and shall be collectively treated as a single captive user.

(b) “subsidiary company” shall have the meaning assigned to it under clause (87) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(c) “holding company” shall have the meaning assigned to it under clause (46) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

(d) “ownership”, in relation to a generating station or power plant set up by any person, shall mean proprietary interest and control, or equity share capital carrying voting rights, held either directly or through its subsidiary or subsidiaries, its holding company, and any other subsidiary or subsidiaries of such holding company.

(e) “Special Purpose Vehicle” shall mean a legal entity established for the sole purpose of owning, operating and maintaining a generating station, and which does not undertake any other business or activity.

Explanation. - For the purposes of these rules, a Special Purpose Vehicle shall be treated as an Association of Persons.

(2) (a) No power plant shall qualify as a *captive generating plant* under section 9 read with clause (8) of section 2 of the Act unless —

(i) not less than twenty-six per cent of the ownership is held by the captive user (s); and

(ii) not less than fifty-one per cent of the aggregate electricity generated in such plant, during the financial year, is consumed for captive use.

(b) In case of a generating station owned by a company formed as special purpose vehicle for such generating station, a unit or units of such generating station identified for captive use and not the entire generating station satisfies the conditions contained in sub-clause (i) and (ii) of clause (a) above.

Explanation. — For the purpose of this sub-rule:

(1) the electricity required to be consumed by the captive users shall be determined with reference to the aggregate generation of the generating unit or units identified for captive use, and not with reference to the generating station as a whole; and

(2) the equity shares to be held by the captive user or users in the generating station shall not be less than twenty-six per cent of the proportionate equity of the company corresponding to the generating unit or units identified as the captive generating plant.

Illustration. - In a generating station with two units of 50 Mega Watt each namely Units A and B, one unit of 50 Mega Watt namely Unit A may be identified as the Captive Generating Plant. The captive users shall hold not less than thirteen percent of the equity shares in the company (being the twenty six percent proportionate to Unit A of 50 Mega Watt) and not less than fifty one percent of the electricity generated in Unit A determined during the financial year is to be consumed by the captive user(s).

(c) In the case of a power plant set up by a registered co-operative society, the conditions specified in sub-clause (i) and (ii) of clause (a) above shall be satisfied collectively by the members of the co-operative society.

(d) In the case of a power plant set up by an association of persons, —

(i) the conditions specified in sub-clause (i) and sub-clause (ii) of clause (a) above shall be satisfied collectively by all the captive users, and the aggregate consumption by all such captive users from the power plant shall be considered for the purpose of verifying compliance with the said conditions;

(ii) captive consumption by an individual captive user shall be admissible only up to one hundred per cent of its proportionate consumption, calculated with reference to its share in the total captive ownership in the power plant;

(iii) where any captive user holds not less than twenty-six per cent ownership in the power plant, the condition relating to proportionate consumption specified in sub-clause (ii) of clause (d) shall not apply to such captive user;

(iv) where the ownership pattern of the power plant varies during the financial year, the proportionate consumption of each captive user shall be determined on the basis of the weighted average shareholding of such captive user during the financial year;

(v) for the purpose of calculating proportionate consumption under sub-rule (2), a captive user, its subsidiary or subsidiaries, its holding company, and any other subsidiary or subsidiaries of such holding company shall be collectively treated as a single captive user.

(See illustrations in Schedule-III)

(3) It shall be the obligation of the captive user(s) to ensure that the conditions specified in sub-rule (2) are complied with during the financial year, and where the minimum captive consumption requirement is not met during such period, the entire electricity generated by the power plant shall be treated as supply of electricity by a generating company and cross-subsidy surcharge and additional surcharge shall be levied on such consumption:

Provided that in the case of a power plant set up by an association of persons, any consumption by an individual captive user in excess of one hundred per cent of its proportionate consumption shall be treated as supply of electricity by a generating company and cross-subsidy surcharge and additional surcharge shall be levied on such excess consumption.

(4) (a) The verification of captive status of a power plant where the power plant and the captive user(s) are located in the same State, shall be carried out by the nodal agency designated by the State Government, as per the procedure issued by such nodal agency:

Provided that where a captive power plant and its captive user(s) are located in more than one State, the verification shall be carried out by the National Load Despatch Centre (NLDC) in accordance with the procedure issued by the NLDC with approval of the Central Government.

(b) An appeal against the verification carried out under clause (a) of sub-rule (4) shall lie before a Grievance Redressal Committee constituted by the Appropriate Government.

(c) Pending verification of captive status for any financial year, the cross-subsidy surcharge and additional surcharge shall not be levied, subject to the declaration furnished by the captive user(s) in accordance with the procedure issued by the nodal agency or NLDC, as the case may be:

Provided that where the power plant fails verification of captive status for the financial year after furnishing such declaration, the applicable cross-subsidy surcharge and additional surcharge, as determined by the respective State Commission, along with the carrying cost calculated at the base rate of Late Payment Surcharge specified in the Electricity (Late Payment Surcharge and Related Matters) Rules, 2022, as amended from time to time, shall be payable.

[F. No. 23/26/2022-R&R(Part-1)]

PIYUSH SINGH, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 379(E), dated the 8th June, 2005 and was last amended vide GSR 688(E), dated the 19th September, 2025.

Schedule- III
(see rule 3)

Example 1: Plant Qualifies as Captive - Proportionate Consumption Within Limit

	Captive User			Total
	A	B	C	
% Ownership of Captive User(s) (x)	15	10	5	X=30
Actual Consumption by Captive User(s) (as % of total ex-bus generation) (y)	33	28	9	Y=70
Captive Consumption Eligibility Limit (as % of total ex-bus generation) = (Y.x/X)	35	23.33	11.67	

Note:

A) For A, actual consumption (33%) qualifies as captive consumption.

B) For B, only consumption up to 23.33% qualifies as captive consumption.

C) For C, actual consumption (9%) qualifies as captive consumption.

Example 2: Plant Qualifies as Captive – Collective vs Individual Limit

	Captive User			Total
	A	B	C	
% Ownership of Captive User(s) (x)	15	10	5	X=30
Actual Consumption by Captive User(s) (as % of total ex-bus generation) (y)	20	28	3	Y=51
Captive Consumption Eligibility Limit (as % of total ex-bus generation) = (Y.x/X)	25.5	17	8.5	

Note:

A) For A, Actual consumption (20%) qualifies as captive consumption.

B) For B, only consumption up to 17% qualifies as captive consumption. However, entire consumption (28%) counts for plant verification.

C) For C, actual consumption (3%) qualifies as captive consumption.

Example 3: Plant Qualifies as Captive – Individual Ownership $\geq 26\%$

	Captive User			Total
	A	B	C	
% Ownership of Captive User(s) (x)	30	15	5	X=50
Actual Consumption by Captive User(s) (as % of total ex-bus generation) (y)	80	12	5	Y=97
Captive Consumption Eligibility Limit (as % of total ex-bus generation) = $(Y.x/X)$	58.2	29.1	9.7	

Note:

A) For A, although proportionate limit is 58.2%, actual consumption (80%) qualifies because ownership is $\geq 26\%$.

B) For B, actual consumption (12%) qualifies as captive consumption.

C) For C, actual consumption (5%) qualifies as captive consumption.

Example 4: Plant Qualifies as Captive - Group Entities Treated as Single Person

	Captive User			Total
	Group	B	C	
% Ownership of Captive User(s) (x)	22 (A=22; A1 =0; A2 = 0; A3 = 0)	4	6	X=32
Actual Consumption by Captive User(s) (as % of total ex-bus generation) (y)	60 (A=0; A1 =30; A2 = 5; A3 = 25)	6	4	Y=70
Captive Consumption Eligibility Limit (as % of total ex-bus generation) = $(Y.x/X)$	48.12	8.75	13.12	

Note:

A) Imagine a group where A holds ownership, A1 is the holding company of A, A2 the subsidiary of A and A3 the subsidiary of A1. In this case, only collective consumption of group (48.12%) qualifies. Excess does not qualify as captive consumption. Allocation of the eligible collective captive consumption among group entities shall be determined by the group, subject to the collective eligibility limit.

B) For B, actual consumption (6%) qualifies as captive consumption.

C) For C, actual consumption (4%) qualifies as captive consumption.